

उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा मुख्यालय

चतुर्थ/पंचम तल, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ-226 001

पत्रांक : एफएस-1076/2012 (4)

दिनांक: जनवरी 23, 2013

सेवा में,

मेसर्स यू0पी0 टाउनशिप प्रा0 लि0,
टीसी/जी-3/3 विभूतिखण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ।

विषय:- प्लॉट/खसरा नं0 टी0सी0/जी-3/3 विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, जिला लखनऊ में निर्मित मेसर्स यू0पी0 टाउनशिप, प्रा0 लि0 , भवन को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 31-10-2012 के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के मानचित्रों में प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं अभिलेखों का परीक्षण अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन अधिकारी, गोमतीनगर, लखनऊ/मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ/उप निदेशक, लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ द्वारा किया गया। अग्निशमन अधिकारी, गोमतीनगर, लखनऊ, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ एवं उप निदेशक, फायर सर्विस, लखनऊ की आख्या दिनांक 22-01-2013 का सुसंगत मानको के अनुसार परीशीलन किया गया।

भवन की संरचना:-

1- कुल भूखण्ड एरिया- 73018.274 वर्ग मी0।

2- प्रस्तावित भूतल कवर्ड एरिया- 14052.07 वर्ग मी0।

3-प्रथम तल से उपरी तलो का टिपिकल कवर्ड एरिया

भूतल का कवर्ड एरिया-898.16 मी0 है।

प्रथम तल से चौदहवें तल के प्रत्येक तल का कवर्ड एरिया- 860.16 मी0 है।

4-बेसमेन्ट प्रथम का कवर्ड एरिया- 2904.29 वर्ग मी0।

5-बेसमेन्ट द्वितीय का कवर्ड एरिया- 2904.29 वर्ग मी0।

6-बेसमेन्ट तृतीय का कवर्ड एरिया -- निल-- वर्ग मी0।

7-भवन की उर्चोई - 44.45 मीटर है।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी- प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की ए-4 श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्था:-

1- पहुच मार्ग:- भूखण्ड के सामने मानचित्रों मे 60 व 30 मी0 रोड की चौडाई है।

2- प्रवेश द्वार की चौडाई- 7.00 मी0 जो मानक के अनुसार है।

3- सैटबेक:- प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत है:-

ए0-अग्रभाग- 15.00 मी0।

बी0-पृष्ठ भाग 15.00 मी0।

सी0-पार्श्व भाग प्रथम- 15.00 मी0।

डी0-पार्श्व भाग द्वितीय- 15.00 मी0 है

उपरोक्तानुसार भवन के सैटबैक भवन विनियमावली के अनुसार है। सैटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेंगे। सैटबैक में किसी प्रकार का स्थाई/ अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

4- निकास मार्ग:- प्रस्तावित भवन में 02 स्टेयर जिसकी चौड़ाई 1.50 व 1.25 मी० का प्राविधान किया गया है, जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

5-रिफ्यूज एरिया का विवरण -प्रत्येक फ्लैट में बालकनी प्रस्तावित है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था- नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ पूर्ण की जानी अनिवार्य है।

1-भूमिगत टैंक: भूमिगत टैंक 75000 ली० क्षमता का मानचित्र में प्राविधानित है।

2-पम्प- अण्डरग्राउंड टैंक के पास मेन पम्प 2280 एल०पी०एम० क्षमता का 2 विद्युत चालित पम्प, डीजल चालित पम्प 2280 एल०पी०एम० क्षमता, जॉकी पम्प 180 एल०पी०एम० क्षमता का प्राविधानित है।

3-होजरील :-प्रस्तावित भवन में होजरील लैण्डिंग वाल्व आई०एम०-3844 मानको के अनुसार है।

4-वेटराइजर: प्रस्तावित भवन के मानचित्र में वेटराइजर सिस्टम एन०बी०सी०-2005 के मानकों के अनुरूप है।

5-प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाईड्रेंट्स होज केबिनेट एवं उ समें डिलीवरी होज तथा ब्रान्च पाइप एवं फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान आई०एस०-13039: 1991 के अनुसार है।

6-हस्त चालित इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:-मैन्युअल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन०बी०सी० मानको के अनुसार है।

7-स्व चालित डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम:-भवन में ऑटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम एन०बी०सी० मानको के अनुसार है।

8-स्व चालित स्प्रिंकलर सिस्टम:- ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन०बी०सी० मानको के अनुसार वेसमेन्ट के लिए प्राविधानित है।

9-टेरिस टैंक:- प्रश्नगत भवन की टेरिस पर टेरिस टैंक 10000 ली० क्षमता का स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।

10-टेरिस पम्प:- प्रश्नगत भवन के टेरिस टैंक आवश्यक नहीं है।

11-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई०एस०-2190 के अनुसार प्राविधान किया जाना है जो मानको के अनुरूप है।

12- स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम:-

ए- फायर चैकडोर, स्मोक चैक डोर की लोकेशन व रेकटिंग का 4 घण्टा है।

बी- सिस्टम की मैक अप एयर हेतु व्यवस्था की गयी है।

सी- स्मोक रिजरवायर एवं अनुमानित स्मोक लेयर आदि को आधारित करते हुए एक्सट्रैक्शन सिस्टम का तकनीकी विश्लेषण एन०बी०सी० के अनुसार है।

13-प्रेशराईजेशन प्रणाली :-

1- स्टेयर के स्थानों पर प्रेशराईजेशन प्राविधानित है व प्रयुक्त होने वाले फैन्स की डक्टिंग इत्यादि है।

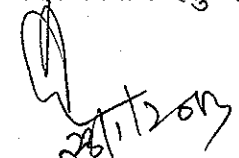
2- प्रेशराईजेशन सिस्टम, डिटेक्शन सिस्टम से इण्टरलिंग है जो एन०बी०सी० के मानको के अनुरूप है।

14-एग्जिट साईनेज:-सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साईनेज स्थापित किये गये हैं।

15-पी०ए० सिस्टम:- पी०ए० सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में प्राविधानित है।

अतः उपरोक्तानुसार श्री/नेसर्स यू०पी० टाउनशिप प्रा०लि० के टी०सी०/जी० 3/3 विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ में प्रस्तावित भवन के निर्माण हेतु अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक : मानचित्र।


नाम- अरविन्द कुमार
उप निदेशक
उ०प्र० फायर सर्विस मुख्यालय,
(अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन अधिकारी)
दिनांक
कार्यालय मोहर/सील

प्रतिलिपि मुख्य अग्निशमन अधिकारी लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि अग्निशमन अधिकारी, गोमतीनगर, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY AREA - LUCKNOW
UNDER THE U.P (URBAN PLANNING DEVELOPMENT ACT, 1973

APPLICATION NO : 43547/124395 FILE No : 27/EEB-1/HSG/2012

WARD : HASANGANJ

SCHEME : GOMTI NAGAR

PERMIT NO : 38264

APPLICATION DATE : 01/10/2012

CATEGORY : COMM/AGENCY/GODOWN

SITE OF CONSTRUCTION : TC/G-3/3

SECTOR : VIBHUTI KHAND

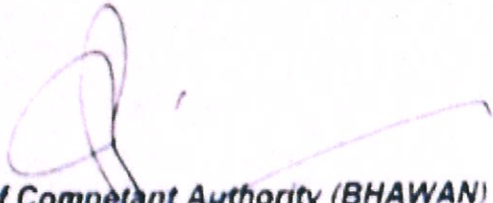
NAME : M/s U P Township Pvt. Ltd

ADDRESS : 3/3, Vibhuti Khand Gomti Nagar Lucknow

Sanction vide order dated 02/06/2015 of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of Validity : 01/06/2020

Rstriction If Required :


Signature of Competant Authority (BHAWAN)
Under the U.P.
Urban Planning and Development Act, 1973